झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –**
   - (i) यह अधिनियम "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहलायेगा।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की अध्याय–17 की धारा–152 की उपधारा–(6) में संशोधन –**

   झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–152 की उपधारा–(6) को निम्न प्रकार संशोधित करते हुए, प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   (6) होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ, फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप से संगणित की जायेगी :–
   - (i) वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,
   - (ii) वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत,
   - (iii) वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेन्ट– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,
   - (iv) वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेन्ट– सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

———

"उद्देश्य एवं हेतु"

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–152 की उपधारा–(6) में होल्डिग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणना का प्रावधान है। परन्तु, उक्त प्रावधान के आलोक में विभिन्न निर्मित ईकाईयों की क्षेत्रफल की पृथक रूप से गणना करना अत्यन्त ही क्लीष्ट एवं अव्यवहारिक है। इसके फलस्वरूप सम्पति कर उदग्रहण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है एवं शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है।

अतः आवश्यक है कि होल्डिग कर की संगणना एवं उदग्रहण की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु अधिनियम को संशोधित करते हुए, विशिष्ट प्रावधान समाविष्ट किये जायें।

तदनुसार उपर्युक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभिष्ठ है।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
भार साधक – सदस्य